95

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 1994 (अग्रहायण 10, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री कैलाश जोशी, सदस्य, छत्तीसगढ़ क्षेत्र मे समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी न हो पाने की ओर राज्य मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बच्चन नायक, कंकर मुंजारे, प्रेम प्रकाश पाण्डेय, सदस्य, नरसिंहपुर थाना कर्मियों की पिटाई से एक महिला की हुई मृत्यु की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री जसवंत सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यो के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि :-

" सदन गैर सरकारी सदस्यो के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अष्टम् प्रतिवेदन से सहमत है."

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य, होशंगाबाद जिले के -

- (क) ग्राम रिजगांव में माध्यमिक शाला खोले जाने,
- (ख) ग्राम टेमागांव-भादूगांव मार्ग पर पुल-पुलिया एवं डब्ल्यू.बी.एम.सड़क का निर्माण कराये जाने, एवं
- (ग) ग्राम हरदा-मगर्धा मार्ग पर पुल-पुलिया एवं डब्ल्यू.बी.एम.सड़क का निर्माण कराये जाने,

(2) श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य, बिलासपुर जिले के -

- (क) ग्राम उतरदा मे पशु चिकित्सालय खोले जाने,
- (ख) ग्राम बाला में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प लगाये जाने,
- (ग) ग्राम खोडरी में प्राथमिक शाला प्रारंभ किये जाने, एवं
- (घ) ग्राम रिस्दी मे माध्यमिक शाला प्रारंभ किये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 30 मि.

श्री रामजी महाजन, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 34 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश के विभिन्न उद्योगों की भूमि अधिग्रहण किये जाने पर भू-विस्थापितों को उचित मुआवजा, व्यवस्थापन तथा उनकी नौकरी संबंधी स्थायी नियम बनाने के संबंध में श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

7. प्रतिवेदन पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट/ उत्तर एवं बोर्ड की टिप्पणी वर्ष 1990-91 (अनुभाग-1) पर चर्चा.

भोपाल :
दिनांक : 30 नवम्बर, 1994

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा